

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2021/PM7/4

New Delhi, dated 30.08.2022

The General Manager (P)
All Zonal Railways
(As per Standard Mailing list)

Sub: Report on system for crew review of running staff and modalities for periodic balancing of staff excess/ shortage.

A committee of EDs was constituted vide order No. ERB-I/2022/23/07 dated 08.02.2022 to examine the present system of crew review and recommend modalities for periodic balancing or excess/ shortage of such staff between Division/Zonal Railways. The committee consisted of the following members:

- i) Executive Director Establishment (N)- Convener
- ii) Executive Director/ TT(S)- Member
- iii) Executive Director/ Finance (E)- Member
- iv) Principle Executive Director/ EE(RS)- Member

The terms of reference of the Committee are "To examine the present system for crew review and recommend modalities for periodic balancing of excess/ shortage of such staff between Division/ Zonal Railways".

The Committee submitted its recommendations. After deliberations, the recommendations of the Committee have been accepted/ approved by the Board. Hence, Zonal Railways are directed to implement the following recommendations of the Committee and take necessary action in this regard:

- a) Presently, all Zonal Railways do not follow a uniform procedure or norms for reviewing the running staff, which needs to be rationalized. Two parameters namely 10 % allowance for bunching allowance or fluctuation of traffic allowance and 3.5 % allowance for future growth in traffic, presently being considered in calculating crew required per POL may be dispensed with as these parameters need to be accounted for in assessing Traffic / POL projections. This will reduce crew assessment by 13.5 % or 0.6 per loco from its present value of 7.67, roughly amounting to 8% reduction (0.6 / 7.67) which may likely translate into approximately 10,000 posts.
- b) The provisions for 30 % Leave reserve and 10% Trainees reserve in crew assessment per POL may be reviewed and decided at the Zonal railway level based on percentage of working days running staff has been on leave or training in the past 3 years. The provision for these parameters may be prescribed as 30% in total or actual percentage described above, whichever is lower.

— 2 —

- c) Considering advancement in Rolling Stock technologies, length of the beat served by loco running staff may be increased to at-least 250 kms.
- d) Zonal Railways to rationalize their requirement of lobbies and as far as possible, retaining only essential lobbies while increasing distance between two lobbies to upto 250km irrespective of divisional/zonal boundaries. Staff links should however be made within the HOER statutory requirements.
- e) Increase in the beat length would also lead to running staff working more frequently across Divisional and Zonal Railway boundaries for which suitable working arrangements may be instituted between divisions / zones.
- f) As seen in data above, since there is poorer utilization of Coaching crew, Coaching links may be revised to enhance average duty hours. For such enhancement of duty hours, crew beat of Mail/Express trains may be extended from the present beats.
- g) Coaching crew Link Management System (CCLMS), being developed by CRIS should be rolled out at the earliest for optimal utilization of coaching crew.
- h) Integration of CMS with COA for enabling visibility of on duty time of crew to section controller along with train details for better planning of trains to reach next crew changing point within prescribed running/overall duty limits and if required advance notice to crew for extended duty can be served. This will also help Section Controller for reducing the Pre-Departure detention (PDD) with better planning of trains in section under his control.
- i) At present, minimum 8 hours rest at out station is prescribed irrespective of hours of duty performed. It is recommended that if duty is less than 5 hours, the crew may be given option for availing 6 hour rest instead 8 hour rest.
- j) Provisions should be made to deploy crew temporarily from one lobby to another to cater to any sudden peak in demand. Such deployment may be done even across divisional / zonal boundaries if necessary for catering to enhanced traffic requirement with the approval of PCOMs and PCEEs of respective Zonal Railways.
- k) Deployment across Divisions / Zones may be considered only after taking holistic view of crew availability in other units and may be done on option basis, with staff being given the option to revert back to their original units within 6 months to 1 year.
- l) Such deployment shall be based on crew review done on yearly basis to balance surplus / deficit requirements at the lobby level within Division / Zones. A long term review every 3 years may be done to assess enhancement / reduction of cadre at the divisional / zonal level so that necessary action for new recruitment / redeployment of surplus staff may be done within time. Any redeployment / balancing done in this regard should be only with approval of concerned PHOD.
- m) In case running crew are identified excess and declared surplus, they may be considered for redeployment under extant rules for surplus staff. Such redeployment may however be considered only after excess crew are adjusted by considering request for inter railway/ inter division in relaxation of 5 years' service requirement.

- n) If need arises, options of staff in these categories may be invited for absorption in other categories/ departments provided these are in the same pay level and they undergo suitable training. This deployment may be made against DR quota subject to the staff meeting prescribed eligibility criteria. Seniority and Pay fixation of such staff on their absorption in alternative categories should be as per extant rules for surplus staff.

In case of additional requirement, posts may be created for new recruitment. However, In terms of instructions issued by Secretary (Expenditure), Ministry of Finance, Deptt. Of Expenditure vide O.M. No. 7(2)/E(Coord)/2020, dated 04.09.2020, all powers for creation of posts have been withdrawn by Ministry of Finance. As per para 2.(a) and 2.(b) of the aforementioned O.M. "There will be a ban on creation of new posts, except with the approval of Department of Expenditure, in Ministries / Departments, attached Offices, Subordinate Offices, Statutory Bodies and Autonomous Bodies. This ban will cover all creation of posts under powers which have been delegated to any organization regardless of the source of such authority or power." Indian Railways should take up the matter with Department of Expenditure to exempt creation of posts of running cadre from this restriction.

- o) The merger of cadres of Loco Pilots between electrical / mechanical may be implemented uniformly across all railways. All crew may be provided training for operating both types of traction as may be necessary keeping in mind local circumstances. Administrative control of loco running staff may be handled by a single point of command to ensure efficiency in decision making.
- p) Crew review should be done on yearly basis (Calendar year, i.e. 1st January to 31st December) duly approved by DRM. The proposal for crew review should be sent from Divisions to HQ well in time so that sanction of GM may be obtained by 15th March and Divisions may be advised to submit indents by March end.

Extant process of filling up of post of running staff through direct recruitment by RRBs is time consuming and generally takes about 2.5 to 3 years. Crew review should be based on three years traffic projection so that any vacancies in anticipated cadre strength can be filled up in a planned manner.

These recommendations contain subjects pertaining to various directorates. If any clarification is required, Zonal Railways may approach the Technical Directorate concerned for further clarification.



(Sanjay Kumar)
Dy. Director/Estt.(N)
Railway Board
Ph. No.43658/011-23303658
E-mail Id- sanjay.kumar6@gov.in

No. E(NG)I/2021/PM7/4

New Delhi, dated 30.08.2022

Copy forwarded to:

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
2. The Genl. Secy., NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
3. All Members/Departmental Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secy. Genl., FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
5. The Secy. Genl., IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
6. The Genl. Secy., AIRPFA, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
7. The Secy., RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secy., RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secy., Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secy., Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Genl. Secy., All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.



For Secretary/Railway Board

PSs to MR, MOSR(D) and MOSR(J).

PPSs to Chairman & CEO, M(Infra.), M(T&RS), M(O&BD), M(Fin.), Secretary, DG/HR, DG/RHS and DG/RPF.

PPSs to AM (Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), PED (Vig.) and PED(Infra.).

PSs to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), EDERS(G), EDE(Res.), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), ED(Track/MC), ED(T&MPP), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G), and IG/RPF.

DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)II, DE(R), DE(D&A), DE(LL), JD(OL), JDE(Rep), JDE(RRB), DD(Code Revision), DDE(N), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, DDV(A&P), DD(OL)I, E(NG)II, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT) II, E(RRB), PC-III, PC-IV, PC-V, E(P&A)I, E(P&A) II, CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), Safety Branch, A/C-III and Code Revision Cell.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)/2021/पीएम7/4

नई दिल्ली, दिनांक: 30.08.2022

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: रनिंग स्टाफ की क्रू समीक्षा की प्रणाली पर रिपोर्ट और कर्मचारियों की अधिकता/कमी के आवधिक के संतुलन के लिए तौर-तरीके।

क्रू समीक्षा की वर्तमान प्रणाली की जांच करने और मंडल/क्षेत्रीय रेलों के बीच ऐसे कर्मचारियों के आवधिक संतुलन या अधिकता/कमी के लिए तौर-तरीकों की सिफारिश करने के लिए दिनांक 08.02.2022 के आदेश सं. ईआरबी-1/2022/23/07 के तहत कार्यपालक निदेशकों की समिति का गठन किया गया था। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- कार्यपालक निदेशक स्थापना (एन) - संयोजक
- कार्यपालक निदेशक/टीटी (एस) - सदस्य
- कार्यपालक निदेशक/ वित्त (स्थापना) - सदस्य
- प्रधान कार्यपालक निदेशक/ ईई (आरएस) - सदस्य

समिति के संदर्भाधीन विषय "क्रू की समीक्षा की वर्तमान प्रणाली की जांच करने और मंडल/क्षेत्रीय रेलों के बीच ऐसे कर्मचारियों के आवधिक संतुलन या अधिकता/कमी के लिए तौर-तरीकों की सिफारिश करना है।"

समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड द्वारा समिति की सिफारिशें स्वीकृत/ अनुमोदित की गई हैं। इसलिए, क्षेत्रीय रेलों को समिति की निम्नलिखित सिफारिशें लागू करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है:

क) वर्तमान में सभी क्षेत्रीय रेलें रनिंग स्टाफ की समीक्षा के लिए एक समान प्रक्रिया या मानदंडों का अनुसरण नहीं करती हैं, जिसे युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है। दो मापदंडों अर्थात बंचिंग भत्ता या यातायात भत्ते की अस्थिरता के लिए 10% भत्ता और भविष्य में यातायात की वृद्धि के लिए 3.5% भत्तों की वर्तमान में प्रति पीओएल अपेक्षित क्रू की गणना के लिए विचार किया जा रहा है क्योंकि यातायात / पीओएल संभावनाओं का आकलन करने में इन मापदंडों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। यह क्रू के आकलन को 13.5% या 7.67 के इसके वर्तमान मूल्य से 0.6 प्रति लोको तक कम कर देगा, मोटे तौर पर 8% की कमी (0.6 / 7.67) जो संभवतः लगभग 10,000 पदों में बदली जा सकती हैं।

ख) प्रति पीओएल क्रू के आकलन में 30% अवकाश रिज़र्व और 10% प्रशिक्ष रिज़र्व के लिए प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी और पिछले 3 वर्षों में छुट्टी पर या प्रशिक्षण पर रनिंग कर्मचारियों के कार्य दिवसों के प्रतिशत के आधार पर क्षेत्रीय रेलों के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। इन मापदंडों के लिए प्रावधान ऊपर वर्णित कुल या वास्तविक प्रतिशत में 30%, जो भी कम हो, के रूप में निर्धारित किया जाएगा।

ग) रोलिंग स्टॉक प्रौद्योगिकियों में अभिवर्धन को देखते हुए लोको रनिंग स्टाफ द्वारा बीट की लंबाई बढ़ाकर कम से कम 250 किमी की जाएगी।

घ) क्षेत्रीय रेलें लॉबी की अपनी आवश्यकता को तर्कसंगत बनाने के लिए और जहां तक संभव हो, मंडलीय/ क्षेत्रीय सीमाओं पर ध्यान दिए बिना दो लॉबियों के बीच की दूरी को 250 किमी तक बढ़ाते हुए केवल अनिवार्य लॉबियों को रखा जाए। बहरहाल स्टाफ लिंक एचओईआर सांविधिक आवश्यकता के भीतर बनाया जाए।

...2/-

इ) बीट की लंबाई में वृद्धि से रनिंग स्टाफ मंडलीय और क्षेत्रीय रेलों की सीमाओं के आस-पास कार्य करेंगे जिसके लिए मंडल/जोनों के बीच उपयुक्त कार्य व्यवस्था स्थापित की जाए।

च) जैसा कि ऊपर दिए गए आंकड़ों में देखा गया है, क्योंकि कोचिंग क्रू का कम उपयोग होता है, औसत ड्यूटी घंटे बढ़ाने के लिए कोचिंग लिंकों को संशोधित किया जाएगा। ड्यूटी के घंटों में इस तरह की वृद्धि के लिए, मेल / एक्सप्रेस गाड़ियों के क्रू बीट को वर्तमान बीट से बढ़ाया जाएगा।

छ) क्रिस द्वारा विकसित की जा रही कोचिंग क्रू लिंक प्रबंधन प्रणाली को कोचिंग क्रू के इष्टतम उपयोग के लिए यथाशीघ्र शुरू किया जाएगा।

ज) गाड़ियों की बेहतर योजना के लिए गाड़ी विवरण के साथ अनुभाग नियंत्रक को चालक दल के ऑन ड्यूटी समय की दृश्यता को सक्षम करने के लिए सीओए के साथ सीएमएस का एकीकरण निर्धारित रनिंग/समग्र ड्यूटी सीमाओं के भीतर अगले क्रू के परिवर्तन प्वाइंट तक पहुंचने के लिए और यदि आवश्यक हो तो विस्तारित ड्यूटी के लिए क्रू को अग्रिम नोटिस दिया जाएगा। इससे अनुभाग नियंत्रक को अपने नियंत्रण वाले अनुभाग में गाड़ियों की बेहतर योजना के साथ प्रस्थान पूर्व रुकौनी को कम करने में भी मदद मिलेगी।

झ) वर्तमान में, आउट स्टेशन पर की गई ड्यूटी के घंटों पर ध्यान दिए बिना न्यूनतम 8 घंटे आराम निर्धारित किया गया है। यह सिफारिश की जाती है कि यदि ड्यूटी 5 घंटे से कम है, तो क्रू को 8 घंटे के आराम के बजाय 6 घंटे आराम करने का विकल्प दिया जाएगा।

ट) अचानक आई किसी मांग को पूरा करने के लिए क्रू को अस्थायी रूप से एक लॉबी से दूसरी लॉबी में तैनात करने का प्रावधान किया जाए। इस तरह की तैनाती यदि आवश्यक हो तो, संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के पीसीओएम और पीसीईई के अनुमोदन से बढ़ी हुई यातायात आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंडलीय/क्षेत्रीय सीमाओं के पार भी की जाएगी।

ठ) मंडलों/जोनों में तैनाती पर अन्य इकाइयों में क्रू की उपलब्धता के समग्र दृष्टिकोण के बाद ही विचार किया जाएगा और विकल्प के आधार पर किया जाएगा इसके साथ कर्मचारियों को 6 महीने से 1 वर्ष के भीतर अपनी मूल इकाइयों में वापस लौटने का विकल्प दिया जा रहा है।

ड) इस तरह की तैनाती मंडल/जोनों के भीतर लॉबी स्तर पर अधिशेष कम आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए वार्षिक आधार पर की गई क्रू की समीक्षा पर आधारित होगी। मंडलीय/क्षेत्रीय स्तर पर संवर्ग में वृद्धि/कमी का आकलन करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष में दीर्घकालिक समीक्षा की जाएगी ताकि नई भर्ती/अधिशेष कर्मचारियों की पुनः तैनाती के लिए आवश्यक कार्रवाई समय पर की जाए। इस संबंध में किया गया कोई भी पुनर्नियोजन/संतुलन केवल संबंधित पीएचओडी के अनुमोदन से किया जाए।

ढ) यदि रनिंग क्रू अधिक पाए जाते हैं और अधिशेष घोषित किए जाते हैं तो अधिशेष कर्मचारियों के लिए मौजूदा नियमों के तहत उनकी पुनः तैनाती के लिए विचार किया जाएगा। तथापि, इस तरह की पुनः तैनाती पर तभी विचार किया जाएगा जब 5 वर्ष की सेवा आवश्यकता में छूट देकर अंतर रेलवे/अंतर मंडल के अनुरोध पर विचार करके अतिरिक्त चालक दल को समायोजित किया जाए।

त) यदि आवश्यकता हो, तो इन कोटियों में कर्मचारियों के विकल्प अन्य कोटियों/विभागों में समायोजन के लिए आमंत्रित किए जाएंगे, बशर्ते ये समान पे लेवल में हों और उन्होंने उपयुक्त प्रशिक्षण लिया हो। यह तैनाती सीधी भर्ती कोटा में की जाए बशर्ते कि कर्मचारी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हो। वैकल्पिक कोटियों में उनके समायोजन पर ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता और वेतन निर्धारण अधिशेष कर्मचारियों के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार होगा।

थ) अतिरिक्त आवश्यकता के मामले में नई भर्ती के लिए पदों का सृजन किया जाएगा। बहरहाल, सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 04.09.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7(2)/ई(समन्वय)/2020 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार

...3/-


पदों के सृजन के लिए सभी शक्तियां वित्त मंत्रालय द्वारा वापस ले ली गई हैं। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2.(ए) और पैरा 2.(बी) के अनुसार "मंत्रालयों/विभागों, संलग्न कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालय, सांविधिक निकायों और स्वायत्त निकायों में व्यय विभाग के अनुमोदन को छोड़कर नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध होगा। इस प्रतिबंध में प्रतिबंध शक्तियों के तहत पदों के सभी सृजन शामिल होंगे, ऐसे प्राधिकार या जो शक्ति के स्रोत की परवाह किए बिना किसी भी संगठन को प्रत्यायोजित की गई हैं, इस प्रतिबंध से रनिंग केंद्र के पदों के सृजन को छूट देने के लिए भारतीय रेल इस मामले में व्यय विभाग के साथ कार्रवाई करेगी।

द) इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल के बीच लोको पायलटों के संवर्गों का विलय सभी रेलवे में समान रूप से लागू किया जाएगा। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सारे क्रू को दोनों प्रकार के कर्षण के परिचालन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। निर्णय लेने में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए लोको रनिंग स्टाफ के प्रशासनिक नियंत्रण को सिंगल प्वाइंट द्वारा संभाला जाएगा।

ध) क्रू की समीक्षा वार्षिक आधार पर (कैलेंडर वर्ष, अर्थात् 1 जनवरी से 31 दिसम्बर) डीआरएम द्वारा विधिवत अनुमोदित की जाएगी। क्रू की समीक्षा के लिए प्रस्ताव समय पर मंडलों से मुख्यालय भेजा जाए ताकि महाप्रबंधक की मंजूरी 15 मार्च तक प्राप्त की जाए और मंडलों को मार्च के अंत तक मांग पत्र जमा करने की सूचना दी जाए।

आरआरबी द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से रनिंग स्टाफ के पद को भरने की मौजूदा प्रक्रिया में समय लगता है और आम तौर पर इसमें लगभग 2.5 से 3 साल लगते हैं। क्रू की समीक्षा तीन साल की यातायात संभावना पर आधारित होनी चाहिए ताकि प्रत्याशित केंद्र संख्या में किसी भी रिक्ति को योजनाबद्ध तरीके से भरा जा सके।

इन सिफारिशों में विभिन्न निदेशालयों से संबंधित विषय शामिल हैं। यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो आगे स्पष्टीकरण के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा संबंधित तकनीकी निदेशालय को संपर्क किया जाए।


(संजय कुमार)

उपनिदेशक/स्थापना (एन)
रेलवे बोर्ड

फोन नं. 43658/011-23303658

ई-मेल आईडी- sanjay.kumar6@gov.in

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरपीओएफ, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110001।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड प्रमोटी आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन कृते
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड